Mobilisation of Forces by Former Prime Minister

3964. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Chiefs of Staff were ordered by Mrs. Indira Gandhi, ex-Prime Minister to deploy their forces in certain constituencies during Lok Sabha General Elections held in March, 1977 on the ground that public order required the presence of armed forces;

(b) if so, names of such constituencies;

(c) whether the relevance of such deployment was ever questioned by the Army Chief or/and others; and

(d) if so, reasons therefor?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) and (b). No such order was issued by the former Prime Minister to the Chiefs of Staff. After a review of the law and order situation by the concerned authorities in February 1977 and on the Home Ministry's request, troops were positioned at Gorakhpur in U.P. and Darbhanga and Bhagalpur in Bihar, to supplement the civil forces in these areas, purely as a precautionary measure. These troops were not called out on any task in aid of civil authorities.

(c) and (d). Do not arise.

Employees in S.R. Mills, Akola

3965. DR. BAPU KALDATY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether S.R. Mills, Akola (Vidharbha) has on its roll a number of persons who are almost invalid and above 60 years of age; and

(b) if so, the reasons of their continuing in the employment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): (a) There are 60 employees in the Sawatram Ramprasad Mill, Akola, who are above the age of 60 years. Besides, there are 5 workmen, who are actually not invalidated but orthopaedically handicapped, and are below the age of 60 years.

(b) The mill had gone into liquidation and winding up order was passed on 13th June, 1967. This mill was taken over by Government of Maharashtra under leave and licence basis from the official Liquidator with effect from 15th August, 1968. This unit was subsequently taken over by the Central Government under Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972 pending nationalisation. Legally therefore, the services rendered by the employees prior to 15th August, 1968 are not reckoned for payment of gratuity. The NTC has approached the Government that even when these workers are legally not entitled for the counting of service prior to 1968, this demand of the workers needs to be considered sympathetically. This matter is under consideration of the Government. Till this matter in finalised. the management of the NTC feels that the services of these workers may continue unless they choose to voluntarily leave.

सिंगर मशीन कम्पनी द्वारा स्वेटर बुनने की मशीन 'सीमक' के मूल्य में वृद्धि किया जाना

3966. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री भारत भूषण :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सिंगर मशीन कम्पनी ने जिसका मुख्यालय बम्बई में और शाखा कार्यालय कनाट प्लेस, नई दिल्ली में है, अब स्वेटर बुनने की हाथ से चलाई जाने वाली 'सीमक' नामक मशीन

का मुल्य बढ़ाकर 1850 रुपए कर दिया है जो पांच वर्ष पूर्व 700 रुपए की थी ;

(ख) क्या यह कम्पनी अपने एजेंटों से कहती है कि वे मशीन बुक करने के लिए अपने ग्राहकों से अग्रिम राशि के रूप में 200 रुपए लें, और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि कम्पनी का विचार इस मशीन का मूल्य 1850 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर देने का है और क्या ऐसी मशीनें देश में नहीं बनाई जा सकती ताकि देश के लोगों को कम मूल्य पर ये मशीनें मिल सकें ; और

(घ) इस समय कम्पनी के पास कितनी मशीनें हैं और एजेंटों के, नगरवार, नाम क्या हैं जिनको ये मशीनें बेचने के लिए दी जायेंगी और ये मशीनें किन तारीखों को उन्हें दी जायेंगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) : (क) जैसा कि मै० सिंगर सिलाई मशीन कम्पनी ने बताया है, पिछले पांच वर्षों में सीमक आर्टनिटर डी एक्स 2000 के बिक्री मूल्य निम्न प्रकार है :—

1972	835 रुपए
1973	1100 रुपए
1974	1400 रुपए
1975	1550 रुपए
1976	1725 रुपए

(ख) कम्पनी ने बताया है कि उनके पास कोई एजेंट तथा वितरक नहीं है किन्तु उनके उत्पादों को बेचने के लिए केवल अधिकृत विक्रेता ही हैं। कम्पनी ने आगे यह भी बताया है कि उन्होंने ग्राहकों से किसी भी प्रकार का पेशगी धन लेने के लिए अपने विक्रेताओं को न तो कोई हिदायत दी है और न ही कोई सलाह दी है।

(ग) और (घ). कम्पनी ने बताया है कि आयातित पुर्जों के मूल्य बढ़ जाने, स्थानीय उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाने तथा सस्ता मूल्य तय किया जाना जिससे कि स्थानीय निर्माताओं को बकों से वित्तीय सहायता मिल सके को ध्यान में रखते हुए बिक्री मूल्य संशोधित करके 2,775 रुपए प्रति मशीन रखा गया है। आयातित पुर्जों के आधार पर मशीन पहले से ही देश म बनाई जा रही है। कम्पनी के पास 141 मशीनें स्टाक में हैं, इनमें से अधिकांश में सुधार करने की जरूरत है और इस प्रकार ये बाजार में बेचने योग्य नहीं हैं। जैसे ही निर्माताओं से मशीनें मिल जाएंगी, सारे देश में वियुक्त अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से उनकी सप्लाई की जाएगी। सरकार के पास अधिकृत विक्रेताओं की सूची के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, यह देखा गया है कि अभी भी सप्लाई की जानी है।

Distribution of Ferguson Tractors

3967. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there are restrictions on the distribution of Ferguson tractors manufactured by Tafe, Madras; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): (a) and (b). In the interest of equitable distribution and availability of preferred models of tractors, the following makes are covered by the Tractors (Distribution